परिपत्र संख्या 2/2/2017-जी एस टी

फा० संख्या 349/82/2017-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
जी एस टी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई,2017

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त /प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय:- निर्यात के लिए बन्ध-पत्र/ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भरे जाने से संबन्धित मुद्दे - की बावत

क्षेत्रीय कार्यालयों और निर्यातकों से इस बात की विभिन्न संसूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि एकीकृत कर के भुगतान के बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं की आपूर्ति करते हुए और कॉमन पोर्टल (www.gst.gov.in) पर FORM GST RFD -11को भरते समय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण निर्यात रूका हुआ है ।

2. जहां तक कि, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96क के अनुसार ऐसा कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो कि एकीकृत कर का भुगतान किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं कि आपूर्ति के विकल्प ले रहे हैं, उनको ऐसे निर्यात के पूर्व एक बन्ध-पत्र या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जमा करना होगा । इस बन्ध-पत्र या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को कॉमन पोर्टल (www.gst.gov.in) पर FORM GST RFD -11में भरना होगा। इसके अलावा परिपत्र संख्या 26/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 1 जुलाई 2017 में यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि 1 जुलाई 2017 से निर्यात के लिए उक्त नियमवाली कि नियम 96क के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

3. विभिन्न स्टेकहोल्डरों ने जिस अन्य मुद्दे को उठाया है कि उक्त नियमावली के नियम 96क के उप- नियम (1) के अनुसार बन्ध-पत्र/ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को यथोचित अधिकारी के माध्यम से भरा जाना जरूरी है जिसे क्षेत्राधिकार प्राप्त आयुकत के यहाँ जमा करना होगा। इस बात को संज्ञान में लेते हुये कि ऐसी बड़ी संख्या में बन्ध-पत्र / लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स को उन पंजीकृत निर्यातकों के द्वारा भरा जाना जरूरी है जो कि क्षेत्राधिकार प्राप्त

आयुक्त के कार्यालय से थोड़ा दूर रहते हैं तो यह बात समझ में आती है कि क्षेत्राधिकार प्राप्त आयुक्त के यहाँ ऐसे बन्ध-पत्रों/ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स को भरने में इन निर्यातकों को परेशानी होगी ।

4. अत:, सीजीएसटी एक्ट,2017की धारा 5 की उप- धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये,एतदद्वारा, यह कहना है कि उक्त नियमावली के नियम 96क के अंतर्गत जिस बन्ध-पत्र/ लेटर ऑफ अंडरटैकिंग्स को निर्यातकों द्वारा भरा जाना है, उसको क्षेत्राधिकार प्राप्त उप -आयुक्त / सहायक आयुक्त के द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

5. इसके अलावा, उक्त अधिनियम कि धारा 168 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये और उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से,उक्त नियमावली के नियम 96 ए के अंतर्गत जिस बन्ध-पत्र/ लेटर ऑफ अंडरटैकिंग्स को भरा जाना जरूरी होता है उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त उप - आयुक्त/ सहायक आयुक्त के पास FORM RFD-11 में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में तब तक मैनुयली भरा जा सकता है जब तक कि FORM RAFD -11 को भरने के लिए कामन पोर्टल पर इसका मोड्यूल उपलब्ध नहीं हो जाता है । निर्यातक केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड की वेबसाइट (www.cbec.gov.in) से FORM RFD -11 को 'डाउनलोड' कर सकते हैं और उस फार्म को पूरी तरह भर कर क्षेत्राधिकार प्राप्त उप -आयुक्त / सहायक आयुक्तके पास जमा कर सकते हैं ।

6. उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्रावधान उन सभी आवेदनों पर लागू होंगे जो 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद जमा हुए हैं । अनुरोध किया जाता है की इस परिपत्र की विषय वस्तु का प्रचार प्रसार करने के लिए उपयुक्त व्यापारिक सूचनाए जारी कर दिये जाएँ।

7. उपर्युक्त निर्देशों के क्रियान्वयन में यदि कोई परेशानी आ रही हो तो उसे कृपया बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

(उपेंद्र गुप्ता)

आयुकत (जी एस टी)